



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213

Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

क्रमांक: हि०शि०बो०संबद्धता(38)/2023- 1299 - 1303


दिनांक: 30/09/2023

"अधिसूचना"

अधिसूचित किया जाता है कि अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा, बोर्ड अधिनियम की धारा 19(3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निजी शिक्षण संस्थानों से संबद्धता रेगुलेशन के नियम 16.12.1 एवं 16.6.1 के अन्तर्गत लिए जाने वाले संबद्धता शुल्क में निम्न प्रकार से संशोधन करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं:-

Sr. No.	Type of Schools	Existing provision regarding Fee	Approved provision regarding fee
1.	Fresh Affiliation	10,000/-P.A.	25,000/-P.A. 20,000/-Affi.fee + 5,000/- Inspection fee
2.	Up-Gradation Affiliation	10,000/-P.A.	25,000/-P.A. 20,000/-Affi.fee + 5,000/- Inspection fee
3.	Renewal Affiliation	5,000/-P.A.	10,000/-P.A.
4.	Periodical Affiliation (for 3 Years)	24,000/- i.e. 8000/- P.A.	30,000/-(including inspection fee) i.e. 10,000/- P.A.
5.	Periodical Affiliation (for 5 Years)	40,000/- i.e. 8000/- P.A.	50,000/-(including inspection fee) i.e. 10,000/- P.A.
6.	Permanent Affiliaiton	15,000/-P.A.	15,000/-P.A.
7.	Inspection fee (per inspection)	2500/-	5000/-
8.	NOC to switch other Board	50,000/-	1,50,000/-
9.	Restored Affiliation	-----	1,00,000/-

उक्त संबद्धता शुल्क दिनांक 01/10/2023 से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को संबद्धता के लिए आवेदन करने वाले समस्त निजी शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा।


डॉ०(मेजर) विशाल शर्मा (हि.प्र.से.)
सचिव
दिनांक:

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सहायक सचिव(अध्यक्ष)।
2. अनुभाग अधिकारी (सचिव)।
3. उप नियन्त्रक(लेखा परीक्षा)।
4. उप नियन्त्रक(वित्त एवं लेखा)।
5. अनुभाग अधिकारी सामान्य शाखा।
6. गार्ड फाईल।


डॉ०(मेजर) विशाल शर्मा (हि.प्र.से.)
सचिव